


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या : २० / 2023 रास्ता प्रकरण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/1/23	<p>तहसीलदार झुंझुनू द्वारा कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता प्रस्ताव मय दस्तावेजात पेश किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार झुंझुनू के अनुसार पटवार मण्डल देरवाला के राजस्व ग्राम खांगा का बास के हाल भूमि खसरा नं. 47, 48, 50, 52, 322/264, 264/53, 62, 62/252, 62/253, 61, 275/66 व 66 में से जाने वाले रास्ता जो कि खांगा का बास के उपरोक्त खसरा नं. में से जाता है, यह रास्ता नक्शे में डबल डोटेड लाईन से दर्ज है, मौके पर चालु हालत में होकर लगभग ग्रेवल डली हुई है। इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादी में रास्ता दर्ज करने की अभिषंशा सहित रिपोर्ट पेश की है। प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाता है।</p> <p>यदि किसी अस्थाई एवं मौसमी रास्ते का स्वरूप बदलकर स्थाई हो गया है तो राजस्व रिकॉर्ड में तदनुसार उस रास्ते का अंकन करना भू अभिलेख अधिकारी का दायित्व है। रास्ते सुनिश्चित होने से काश्तकारों में अनावश्यक विवाद नहीं होते हैं तथा आराजी तक पहुंच सुगम रहती है। सुगम पहुंच भूमि सुधारों का क्रियान्वयन सुगम बनाती है। सुनिर्धारित, सुनिश्चित रास्ता जोत का महत्व और मूल्य बढ़ा देता है। रास्ता से गमागमन शांत, निर्बाध एवं विधिपूर्ण होने के संदर्भ में भूमि सुधार एवं सुव्यवस्थित भू प्रबंध/भू अभिलेख का एक मुख्य घटक है।</p> <p>तहसीलदार झुंझुनू के अनुसार उक्त प्रचलित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने पर किसी पक्षकार के हक हिस्सों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद नहीं होने की संभावना होती है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(2)रा-6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज-6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की रोशनी में न्यायालय मत पर जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत कदीमी रास्तों को रिकॉर्ड में लाने का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः</p> <p style="text-align: center;">-: आदेश :-</p> <p>उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरुद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गै0 मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	


 उप खण्ड अधिकारी
 झुंझुनू (राज.)